



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 355]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 अगस्त 2013—श्रावण 17, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
(शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2013

क्र. एफ 11-1-2011-एक-15-क.क.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति नियम, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 5 में, खण्ड (ग) का लोप किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2013

क्र. एफ 11-1-2011-एक-15-क.क.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 11-1-2011-एक-15-क.क. दिनांक 8 अगस्त 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 8th August 2013

No. F 11-1-2011-I-15-क.क.—The State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh State Employees Welfare Committee Rules, 2012, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 5, clause (c) shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. R. VISHWAKARMA, Dy. Secy.